

SCMS
2020/00062
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. अजय राम

हलका भूक वडातपिह

पुत्र श्री. रतन राम जाति वागरी

निवासी भूक वडातपिह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 गु.नं. 59 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका <u>भूक वडातपिह</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा <u>भूक वडातपिह</u> के खसरा नंबर <u>2713</u> रकबा <u>2000 वर्ग फी.</u> किस्म भूमि <u>अ.मु.</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>11-01-2021</u> को वमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	<p style="text-align: center;">तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीआरसी अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जोधपुर पधारें। पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">11-01-2021</p>	<u>अजय राम</u>
18-01-2021	<p>पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब देते हुए सायल चाहा जो डिल जाकर पत्रावली दि. 27-01-2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर</p>	<u>अजय राम</u>

27-01-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सागल की तरफ से उनके नकील से उपाधि होकर जवाब हेतु सागल या हा के दिमाजकर पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021 पत्रावली पेश हुई। पीढालीन अधिकारी आठ उभुटी पर सिवाना पद्वारे है। पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सागल अनुपाधि गैर सागल को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिमाजकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सागल अनुपाधि। गैर सागल को जवाब हेतु कारबार भवत दिनांक के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किने गैर सागल को अन्तिम मन्ते हुए पत्रावली फेताल सुगार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शसिल पत्रावली है। पत्रावली फेताल सुगार होकर डाखिल इफतार है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर